बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण
फैक्स/ईमेल

पत्रांक–प्र07–कि0आ0–06/2010– 4796 /खाद्य,पटना/दिनांक– 21-09-17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– P20028/2/2000-PP(vol.IV)(Pt) दिनांक– 05.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा थोक किरासन तेल विक्रेताओं को देय पुनरीक्षित कमीशन की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है ।

पुनरीक्षण से पूर्व एवं बाद मिलनेवाला कमीशन निम्नवत् है:–

पुनरीक्षण से पूर्व

		कमीशन
(1)	वैसे थोक विक्रेता जो – फार्म XV के अन्तर्गत है	₹ 787.82/के0 एल0 (सात सौ सतासी रूपये बेरासी पैसे प्रति के0 एल0)
(2)	वैसे थोक विक्रेता जो – फार्म XV के अन्तर्गत नहीं है	₹ 723.87/ के0 एल0 (सात सौ तेईस रूपये सतासी पैसे प्रति के0 एल0)

पुनरीक्षण के बाद

		कमीशन
(1)	वैसे थोक विक्रेता जो – फार्म XV के अन्तर्गत है	₹ 1008.83/के0 एल0 (एक हजार आठ रूपये तेरासी पैसे प्रति के0 एल0)
(2)	वैसे थोक विक्रेता जो – फार्म XV के अन्तर्गत नहीं है	₹ 928.10/ के0 एल0 (नौ सौ अठाईस रूपये दस पैसे प्रति के0 एल0)

भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के आलोक में उक्त पुनरीक्षित कमीशन दिनांक– 05.09.2017 से प्रभावी है ।

अतएव संलग्न भारत सरकार के पत्र में दिये गये मार्गदर्शन एवं अन्य संबंधित निदेशों के आलोक में किरासन तेल का खुदरा (उपभोक्ता) मूल्य अविलम्ब निर्धारित कर उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय । थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक– 6726 दिनांक– 24.11.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\M 2016\Sec_7\PDS_Letter.doc

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–06 / 2010 4796 / खाद्य,पटना / दिनांक–21-09-17
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के आप्त सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी उप निदेशक, खाद्य / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–06 / 2010 4796 / खाद्य,पटना / दिनांक–21-09-17
प्रतिलिपि – अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक– P20028/2/2000-PP(vol.IV)(Pt) दिनांक– 05.09.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\M_2016\Sec_7\PDS_Letter.doc

No. P-20028/2/2000-PP (Vol. IV) (Pt.)
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
PP Section
****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: the 5th September, 2017

To

1. The Secretary,
   Food & Civil Supplies Department,
   All State Governments/Union Territories.

2. The Chairman,
   Indian Oil Corporation Ltd.,
   New Delhi

3. The Chairman & Managing Director
   Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,
   Mumbai

4. The Chairman & Managing Director,
   Bharat Petroleum Corporation Ltd.,
   Mumbai

5. The Director General,
   Petroleum Planning & Analysis Cell,
   New Delhi

Subject: Revision in Wholesale Dealers' Commission on Kerosene Oil.

10328
15/9/17

Sir,

I am directed to refer to the above subject and to say that the existing rates of Dealers' Commission on Kerosene Oil as communicated vide this Ministry's letter of even number dated 28th October, 2016 are as under:

Wholesale Dealers (Form XV)	Rs. 787.82/KL
Wholesale Dealers (other than Form XV)	Rs. 723.87/KL

2. A review of the matter was made by the Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) and they have made recommendations in this regard. After careful consideration of the recommendations of OMCs and Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), it has been decided to revise the rates of commission of Kerosene for Wholesale Dealers as follows:

Wholesale Dealers (Form XV)	Rs. 1008.83/KL
Wholesale Dealers (other than Form XV)	Rs. 928.10/KL

3. The revised rates will be effective from the date of issue of the letter.

Copy To:

1. President, All India Kerosene Dealers Federation, B-32, Greater Kailash Part-1, New Delhi – 110048.

2. Technical Director (NIC) with a request to upload it on the website of Ministry.